

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक-07/06/2026

विषय:- "विकसित बिहार के सात निश्चय" अंतर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भोजपुर (आरा) (बी०एस०सी० नर्सिंग कॉलेज सहित) के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल रु० 543,99,00,000/- (रुपये पाँच सौ तैतालिस करोड़ निन्यानवे लाख) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की प्रदत्त पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजना मद से राशि रु० 3,00,00,000/- (रुपये तीन करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश सं०-277(1), दिनांक-16 03 2021 द्वारा "विकसित बिहार के सात निश्चय" अंतर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भोजपुर (आरा) (बी०एस०सी० नर्सिंग कॉलेज सहित) के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल रु० 543,99,00,000/- (रुपये पाँच सौ तैतालिस करोड़ निन्यानवे लाख) मात्र के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त स्कीम (योजना) के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजना मद से राशि रु० 3,00,00,000/- (रुपये तीन करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

2- इस योजना हेतु अब तक आवंटित राशि का विवरण निम्नरूपेण है-

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	राशि (रु० में)	व्यादेश सं०/आवंटनादेश सं० एवं दिनांक
1	2021-22	1.15.50.00.000	स०-411(1), दिनांक-16.06.2021
2	2023-24	20.00.00.000	स०-536(7), दिनांक-27 02 2024
3	2024-25	2.50.00.000	स०-49(7), दिनांक-27 05 2024
4	2024-25	80.00.00.000	स०-136(7), दिनांक-21 08 2024
5	2024-25	96.96.00.000	स०-406(7), दिनांक-31 01 2025
6	2024-25	60.00.00.000	स०-591(7), दिनांक-28 03 2025
7	2025-26	16.50.00.000	स०-97(7), दिनांक-19 06 2025
8	2025-26	25.00.00.000	स०-176(7), दिनांक-29 07 2025
9	2025-26	15.00.00.000	स०-286(7), दिनांक-08 09 2025
10	2025-26	8.00.00.000	स०-443(7), दिनांक-15 12 2025
11	2025-26	5.00.00.000	स०-34(7A), दिनांक-28 01 2026
12	2025-26	35.00.00.000	स०-94(7A), दिनांक-25 02 2026
13	2025-26	7.00.00.000	स०-119(7A), दिनांक-20 03 2026
	कुल	4.86.46.00.000	

3- उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश सं०-277(1), दिनांक-16.03.2021 में निहित शर्तों के आधार पर किया जायेगा।

4- इस राशि के व्यय का वहन मॉग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, 051 निर्माण-0101-नये चिकित्सा महाविद्यालय एवं पारा मेडिकल संस्थान हेतु, विपत्र कोड-20-4210030510101, विषय शीर्ष-53-01-मुख्य निर्माण कार्य के 0101-53-01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

5- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

6- अवर सचिव-सह-निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी०टी०सी० फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेगे, जो उक्त राशि को पी०एल० एकाउन्ट सं०-PBBPLA007 विपत्र कोड-00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID में जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे।

7- बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते में प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेगे।

8- यह राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि०(2), दिनांक-17.04.98, 2880/वि०(2), दिनांक-06.05.06, 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.08, 3758/वि०, दिनांक-31.05.2017 एव 12888/वि०, दिनांक-03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

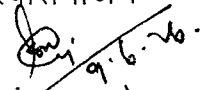
9- प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

10- प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं०स०-7/बजट-46-56/2025-26 के पृष्ठ-166/टि० पर प्राप्त है।

11- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12- यह मात्र व्ययादेश है, आवंटन CFMS के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।

विश्वासभाजन


(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापक:-7/बजट-46-56/2025-26-189(7A) स्वा०, पटना, दिनांक-09/06/2026

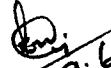
प्रतिलिपि - महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एव विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, भोजपुर (आरा)/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियो में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— आईटी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

187 (7A)
09/06/2026


9.6.26.
सरकार के अपर सचिव।
41